

27.03.19

नाम:-----

प्रिय अभिभावक

कक्षा एवं अनुभाग-----

वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की और अधिक सुरक्षा हेतु सरकारी आदेशानुसार विद्यालय द्वारा अत्यावश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आप से नम्र निवेदन है कि आप हमें उनकी सुरक्षा को और अधिक सशक्त करने हेतु अपना पूरा सहयोग दें-

1. क. यदि आप अभिभावक भी हैं तो भी कृपया बिना वैध अधिकार कार्ड (Valid Authority Card) अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए विद्यालय को बाध्य न करें।
ख. बस पास/ ट्रांसपोर्ट संग्रह कार्ड का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता।
2. यदि विद्यालय द्वारा आपको विद्यालय में आने के लिए कहा जाए या आप यहाँ आने की पूर्व अनुमति ले लें तभी आप विद्यालय में आ सकते हैं। कृपया आप अपने साथ अपने बच्चे का वैध अधिकार कार्ड (Valid Authority Card) अवश्य लेकर आएँ।
3. पीटीएम के अवसर पर:-
क. कृपया आप अपने साथ अपने बच्चे का वैध अधिकार कार्ड (Valid Authority Card) अवश्य लेकर आएँ।
ख. यदि आप अपने बच्चे को साथ लेकर आते हैं तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह स्कूल वर्दी (School Uniform) में हो और पूरा समय आपके साथ ही रहे।
4. क. यदि आपका बच्चा निजी (Private) रिक्शा या ऑटो से आता है तो आप स्वयं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।
ख. जो विद्यार्थी निजी परिवहन साधन/ स्कूल रिक्शा का उपयोग करते हैं, उन्हें अलग से विद्यार्थी संग्रह कार्ड दिया जाएगा।
ग. यह कार्ड स्कूल की छुट्टी होने पर ही विद्यार्थी सौंपने हेतु निजी परिवहन/ स्कूल रिक्शा चालकों द्वारा ही उपयोग किया जाएगा।
5. कृपया आप घर पर अपने बच्चे का स्कूल बैग नियमित रूप से देखें कि कहीं वह कोई नुकीली वस्तुएँ/ लोहे का स्केल/ पटाखे या फिर कोई ऐसी वस्तुएँ, जिनसे कोई चोट पहुँच सकती है; अपने साथ विद्यालय तो लेकर नहीं जा रहा है।
6. यदि आपका बच्चा विद्यालय में पटाखों के साथ या उन्हें चलाते हुए पकड़ा गया तो पहली बार में ही उसे विद्यालय से निष्कासित (Rusticated) कर दिया जाएगा।
7. आपके बच्चे को विद्यालय में गर्मियों में प्रातः 7:25 तथा सर्दियों में प्रातः 8:15 से पहले अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


प्रधानाचार्या

माता जी के हस्ताक्षर
तिथि:.....

पिता जी के हस्ताक्षर
तिथि:.....